

संलग्नक सं० 2.27

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

जिलाधिकारी
अन्नामोडा

57
सप जिलाधिकारी
जैती

तहसीलदार
जैती

राजस्व उपनिरीक्षक